


फर्द अहकाम - 2021/9

वकील बनाम जोरधन लाल वर्गो

दफ्तर

क्रमांक संख्या 02/2021 आ. पत्र द्वारा 151CPL

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	15.01.21	वकील कैलाश चन्द शैनी ने आ. पत्र 151CPL का पेश किया। रिपोर्ट दफ्तर हो चुकी है। आ. पत्र दर्ज रजिस्टर हो मक़र में अशर्ही/वादीगठ के अधिवक्ता श्रीकमल कुमार जैत ने आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 22-01-21 को पेश हो।	No objection.  14.01.21 27/1/21
	22.01.21	व. अशर्ही उप. मक़र में संशोधित आ. पत्र 151CPL पेश हुआ। आ. पत्र शा. मि. रहे। मक़र वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 27-01-21 को पेश हो।	
	27.01.21	व. फ. उप. अशर्ही संख्या 12 ता 24 के अधिवक्ता ने आ. पत्र पर आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। वकील अशर्ही की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अशर्ही ने आ. पत्र में तथ्यों को दोहराते हुए प्रकरण संख्या 16/2003 उनवली रुड्या रुडभस ऊर्फ अर्जुन लाल वर्गो बनाम नारायण वर्गो में निर्णय दिनांक 05.07.2004 में अशर्हीगठ ने के. सी. सी. लोन पशुपालन योजना प्रधानमंत्री योजना में लोन लेने की बूट चाही गयी है। अशर्हीगठ विवादित भूमि में सह स्वतंत्र है। अतः अशर्हीगठ का आ. पत्र स्वीकार किया जा कर विवादित भूमि खसरा नम्बर 238, 246, 248 ता 259, 264 ता 269, 514, 515, 270/251, 247/953 कुल कित्ता 28 का कुल रकबा 15.94 हेक्टर भूमि वके ग्राम विमलपुरा	



फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिनांक
		<p>नदशील चौंमूं जिला जयपुर में 16/2003 के निर्णय दिनांक 05/07/2004 में के. सी. सी. लोन, पशुपालन योजना व प्रधानमंत्री योजना की वृद्ध मंदान को जाती है। पत्रावली के साथ ही एक दर्ज नम्बर से कम ही एवं मुख्य रूप के साथ संलग्न रहे।</p> <p>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौंमूं (जयपुर)</p>	